



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:41102

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4180/2026

शशि कुमार गोस्वामी उर्फ बब्बू गोस्वामी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- विजय नाथ पाण्डेय, आकांक्षा

अवस्थी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय नाथ पाण्डेय तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री निकिता मिश्रा को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत आवेदन, आवेदक को थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 17/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. उपर्युक्त वाद अपराध चार व्यक्तियों, जिनमें आवेदक, उसकी पत्नी, उसकी बहन तथा उसकी पुत्री सम्मिलित हैं, के विरुद्ध दिनांक 12.01.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि आवेदक के पुत्र का विवाह लगभग चार वर्ष पूर्व परिवारी की पुत्री के साथ हुआ था। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, किन्तु विवाह के लगभग छह माह पश्चात अभियुक्तगण परिवारी की पुत्री से दहेज के रूप में बुलेट मोटरसाइकिल, सोने की चेन, अंगूठी तथा भैंस की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। दिनांक 12.01.2026 को परिवारी को एक दूरभाष आया, जिसमें उससे अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाने के लिए कहा गया। अपनी पुत्री की ससुराल पहुँचने पर उसने अपनी पुत्री को मृत अवस्था में पाया। शव-परीक्षण आख्या में गर्दन के चारों ओर 6 सेंटीमीटर के गैप के साथ बाईं ओर ऊपरी गर्दन पर एक फंदे का निशान विद्यमान होना अंकित किया गया है। मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फाँसी लगाने के कारण श्वासावरोध होना अभिमत किया गया है।

4. विवेचक के समक्ष अभिलेखित किए गए बयान में परिवारी ने कहा है कि उसकी पुत्री का पति भी उक्त घटना में सम्मिलित है। परिवारी के पति ने कहा है कि घटना की तिथि को वह मध्य प्रदेश में था तथा उसकी पत्नी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने दामाद को अभियुक्त नहीं बनाया है। उसने कहा कि उसकी पुत्री के उत्पीड़न में उसका दामाद भी सम्मिलित था, क्योंकि यदि उसने अपनी पत्नी का पक्ष लिया होता और अपने परिवार के सदस्यों को समझाया होता, तो उक्त घटना घटित नहीं हुई होती।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कथन किया गया है कि मृतका का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसका उपचार चल रहा था और इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस तथ्य की पुष्टि शव-परीक्षण आख्या में की गई टिप्पणी से होती है, जिसमें यह अंकित है कि उसके दोनों फेफड़ों में मवाद से भरी हुई कई थैलियाँ विद्यमान थीं।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है तथा आवेदक, उसकी पत्नी एवं उसके पुत्र के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 10.04.2026 प्रस्तुत किया जा चुका है। दो अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् आवेदक की पुत्री एवं उसकी बहन के विरुद्ध लगाए गए आरोप विवेचना के दौरान प्रमाणित नहीं हो सके, इसलिए उन्हें आरोपों से उन्मोचित कर दिया गया है।

7. उपर्युक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि शव-परीक्षण आख्या से केवल गर्दन के चारों ओर फंदे का निशान पाया जाना तथा मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फाँसी लगाने के कारण श्वासावरोध होना प्रकट होता है; आवेदक का कथन है कि मृतका ने अपनी बीमारी के कारण आत्महत्या की, जिसकी पुष्टि शव-परीक्षण आख्या में की गई टिप्पणी से भी होती है कि दोनों फेफड़ों में मवाद से भरी हुई कई थैलियाँ विद्यमान थीं; साथ ही, इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 13.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है, जबकि विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मेरा मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक-शशि कुमार गोस्वामी उर्फ बब्बू गोस्वामी को उपर्युक्त वाद अपराध में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 15, 2026

आरती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।